



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]

No. 426]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2017/कार्तिक 15, 1939

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017/KARTIKA 15, 1939

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2017

सं. 19/3/2016-पी. सी. आई.(भाग-II).—भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (4) के अनुसरण में उक्त धारा की उप-धारा (3) के खंड (क) एवं खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के निम्नलिखित व्यक्ति संगमों और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए समाचार अभिकरणों को परिषद् की तेरहवीं तीन वर्षीय सेवावधि के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(I) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम :-

- (1) हिन्दी समाचार पत्र सम्मेलन
- (2) एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया
- (3) ऑल इंडिया न्यूजपेपर एडीटर्स कान्फ्रेंस

श्रमजीवी पत्रकार, जो कि संपादक है, के प्रतिनिधि निकायों के रूप में ।

- (4) वर्किंग न्यूज कैमरामैनस एसोसिएशन
- (5) प्रेस एसोसिएशन
- (6) इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन
- (7) नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया)

संपादकों से भिन्न, श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में

(II) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम :-

- (1) दी इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी

बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में

- (2) ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फ़ैडरेशन } मध्यम एवं छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में
- (3) एसोसिएशन ऑफ स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया } छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में
- (III) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचार अभिकरण :-
- (1) युनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया

विभा भार्गव, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./295/17]

**PRESS COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2017

No. 19/3/2016-PCI(Pt.II).—In pursuance of sub-section (4) of Section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978) the Press Council of India hereby notifies, for the purposes of the XIIIth three year term of Council, the following associations of persons of the categories referred to in clause (a) and clause (b) and news agencies for the purpose of clause (c) of sub-section (3) of that Section, namely:—

- (I) Associations of persons of category referred to in clause (a) of sub-section (3) of Section 5:
- (1) Hindi Samachar Patra Sammelan }
 (2) Editors Guild of India } As representative bodies
 (3) All India Newspaper Editor's } of Working Journalists
 Conference } who are Editors
- (4) Working News Cameramen's }
 Association } As representative bodies
 (5) Press Association } of Working Journalists
 (6) Indian Journalists Union } other than Editors
 (7) National Union of Journalists (India), }
- (II) Associations of persons of category referred to in clause (b) of sub-section (3) of Section 5:
- (1) The Indian Newspaper Society } As representative body of
 Owners & Managers of Big,
 Medium and Small Newspapers

(2) All India Small and Medium
Newspapers Federation

} As representative body of Owners and
Managers of Medium and Small
Newspapers

(3) Association of Small and Medium
Newspapers of India

} As representative body of
Owners & Managers of
Small Newspapers

(III) News Agencies for the purpose of nominating a person from the category of persons referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 5:

(1) United News of India

VIBHA BHARGAVA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./295/17]

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.11.06 22:29:06
+05'30'